भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS, RAJASTHAN
6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर–302004
6-B, JHALANA DOONGRI, JAIPUR-302004
दूरभाष/Phone : 0141- 2708078, 2709177 फैक्स/ Fax: 2707090
ई-मेल/ E-mail : dco-raj.rgi@censusindia.gov.in

2021

15 YEARS OF CELEBRATING

F.No.11029/1/2020/Census/ 27

दिनांक: 23-01-2020

भारत की जनगणना 2021 – परिपत्र संख्या–4

प्रमुख जनगणना अधिकारी,
(समस्त जिला कलक्टर एवं
आयुक्त नगर निगम)

विषयः सभी वैधानिक शहरों (Statutory Towns) में स्लम बस्तियों की पहचान एवं उनमें स्लम ब्लाक बनाने बाबत्।

महोदय,

भारत में 21वीं सदी के प्रारम्भ से शहरीकरण के प्रति एक बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई है। शहरीकरण, एक प्रक्रिया है जिस वजह से शहर व कस्बे विकसित होते रहे हैं। क्योंकि शहर आर्थिक विकास का केन्द्र रहे हैं, अतः रोजगार के विभिन्न अवसर तथा जीवन यापन के विभिन्न साधनों की उपलब्धता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से भारी संख्या में नगरीय क्षेत्रों में आव्रजन की वजह से नगर तीव्र ग्रोथ का कारण रहे हैं। शहरों में भौतिक संरचनाओं जैसे आवास, पेयजल आपूर्ति, गंदे पानी की निकासी आदि सुविधाऐं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होते हुए भी आर्थिक कारणों से ग्रामीण प्रवासी शहरी क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं एवं मूलभूत सुविधाओं की वजह से प्रवासियों को इन कच्ची बस्तियों (स्लम) में रहने के लिए मजबूर होते हैं। सामन्यतः ये कच्ची बस्तियॉं समूह में बसी हुई होती हैं। कच्ची बस्तियों (स्लम) के बनने के विभिन्न कारण हैं जिनमें से सबसे प्रमुख हैं (i) शहरीकरण में वृद्धि की वजह से उपलब्ध भूमि और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता में कमी विशेष रूप से इन गरीबों के लिए (ii) शहरी गरीबों की आबादी में वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों से बड़े शहरों में आव्रजन (iii) जमीन की बढ़ती मांग के कारण आसमान छूती जमीन की कीमत और ज़मीन की उपलब्धता में आनेवाली रूकावटें और (iv) अधिकांश राज्यों में शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास की पर्याप्त योजनाओं/कार्यक्रमों का अभाव। जनगणना 2011 के दौरान, 1.23 लाख स्लम गणना ब्लाक (EBs) पूरे देश भर में दर्ज किए गए थे और कुल स्लम जनसंख्या 6.55 करोड़ थी।

2. राज्य/संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कच्ची बस्ती (स्लम) में रहने वालों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए निरन्तर प्रयासों के उपरान्त भी स्लम बस्तियॉं शहरीकरण की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बन गई है जो कि एक तरह से राज्यों और देश में समग्र सामाजिक–आर्थिक नीतियों और योजनाओं का प्रकटीकरण है। कच्ची बस्तियों में रहने वालों का (Slum dwellers) शहर की अर्थव्यवस्था में योगदान रहता है जो कि अर्थव्यवस्था के संगठित और असंगठित दोनों

क्षेत्रों में उत्पादन के लिए सस्ती श्रम आपूर्ति का स्रोत है। स्लम बस्तियों पर व्यापक जानकारी एकत्र कर उनके सुधार/पुनर्वास के लिए एक प्रभावी और समन्वित नीति तैयार करने के लिए आवश्यक है।

3. कच्ची बस्तियों (स्लम) की अवधारणा और उनकी परिभाषा राज्यों की अलग अलग सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों या स्थानीय धारणाओं के आधार पर निर्भर करती हैं । क्षेत्रीय नामों में भिन्नता होने के कारण इन स्लम बस्तियों को अलग अलग नामों से जाना जाता हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली में स्लमों को आमतौर पर झुग्गी–झोंपड़ी के रूप में जाना जाता हैं। जबकि मुम्बई में उन्हें झोपड़पट्टी या चाल कहा जाता है। इसी प्रकार अन्य ज्ञात नाम हैं–कानपुर में अहाता, कोलकाता में बस्ती, चेनई में चेरीज और बैंगलोर में केरीज। हालांकि इनमें से अधिकांश स्लम बस्तियों में समान भौतिक विशेषताऐं हैं।

4. कच्ची बस्ती (स्लम) क्षेत्रों को सुधार और स्वच्छता अधिनियम, 1956 के भाग–3, में मुख्य रूप परिभाषित किया गया है जिस में मुख्यतः वह आवासीय क्षेत्र आता है जहॉ व्यक्ति अधिक भीड़भाड़, दोषपूर्ण मकानों का निर्माण, सकड़ी गलियां, सड़कों की दोषपूर्ण व्यवस्था, वायु संचार की कमी, प्रकाश, मल निकासी तथा स्वच्छता की सुविधाओं आदि जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिक विकास के लिए जरूरी है, का अभाव रहता है। इस प्रकार वैचारिक रूप से स्लम बस्तियों को सघन भीड़भाड़ वाले आवासीय क्षेत्रों के रूप में देखा जाता है (अलग अलग या बिखरे हुए आवास नहीं हैं) जो बुनियादी सुविधाओं जैसे पीने के पानी, स्वच्छता, बिजली, सीवरेज, सड़कों जैसी बुनियादी ढांचों में से एक या अधिक की कमी के कारण रहने योग्य नहीं है। इस केन्द्रीय विधान के अतिरिक्त, आधारभूत सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न राज्यों के अपने अपने स्वतंत्र अधिनियम हैं जो "स्लम" को परिभाषित करते हैं।

5. जनगणना 2011 की तरह कच्ची बस्तियों(स्लम) को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाना है, जो इस प्रकार हैः **अधिसूचित स्लम, मान्यता प्राप्त स्लम और चिन्हित स्लम।** 2011 की जनगणना में उपयोग में ली गई परिभाषाऐं और कोड 2021 की जनगणना में भी अपनाए जायेंगें, जिनका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैः–

(i) राज्य, केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्रशासन द्वारा किसी भी अधिनियम के तहत किसी कस्बे या शहर की उन सभी बस्तियों को जिन्हें स्लम बस्ती के के रूप में अधिसूचित किया गया है, उसे **अधिसूचित स्लम मानकर कोड–1** दिया जाएगा।

(ii) राज्य, केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन या स्थानीय प्रशासन, आवास और स्लम बोर्ड द्वारा 'स्लम' के रूप में मान्यता प्राप्त सभी क्षेत्रों, जिन्हें किसी अधिनियम के तहत स्लम के रूप में औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है, को **मान्यता प्राप्त स्लम के रूप में कोड–2 दिया जावेगा।**

(iii) ऐसे छोटे घने क्षेत्र जिनकी जनसंख्या कम से कम 300 व्यक्ति हो या लगभग 60–70 परिवार निवास करते हों, बेतरतीब रिहायशी इकाईयॉ, कच्ची झुग्गी–झोंपड़िया एक दूसरे से सटी हुई हों, अस्वस्थकर वातावरण, सामान्य तौर पर अपर्याप्त ढांचागत सुविधाऐं एवं सफाई व्यवस्था तथा पीने के पानी इत्यादि का अभाव हो एवं ऐसे क्षेत्रों को सम्बन्धित चार्ज अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से चिन्हित किया गया हो, ऐसे क्षेत्रों का जनगणना निदेशालय के अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया हो तथा ऐसे क्षेत्रों का चार्जरजिस्टर में इन्द्राज किया गया हो, **को चिन्हित स्लम मानकर कोड–3** दिया जाएगा।

6. 2011 की जनगणना में सभी वैधानिक शहरों में (चाहे उनकी आबादी कितनी भी हो) देश भर में कच्ची बस्ती (स्लम) क्षेत्रों के लिए अलग से विस्तृत जनसांख्यिकीय आंकड़े एकत्र किए थे। जनगणना 2021 में भी कच्ची बस्तियों (स्लम) से सम्बन्धित आंकड़े अलग से एकत्र किए जाएंगें और सभी वैधानिक शहरों के लिए सारणीबद्ध किए जाएंगें, चाहे उनकी आबादी कितनी भी हो। इसके लिए जनगणना 2021 के प्रत्येक चरण के संचालन से पहले मकान

सूचीकरण के दौरान स्लम ब्लाकों (HLBs)/जनसंख्या गणना के दौरान स्लम ब्लाक की पहचान और उनके गठन का कार्य करना जरूरी है। हालांकि कच्ची बस्ती (स्लम) के आंकड़ों के लिए अलग से या कोई अतिरिक्त प्रश्न नहीं पूछा जायेगा और इस उद्देश्य के लिए मकान सूचीकरण तथा मकानों की गणना एवं जनसंख्या गणना में उपयोग की गई अनुसूची का ही उपयोग किया जायेगा। प्रत्येक वैधानिक शहर के लिए डेटा प्रोसेसिंग और अलग सारणीकरण को सक्षम करने के लिए 'स्लम' कहे जाने वाले क्षेत्रों की विशिष्ट पहचान को बनाए रखा जाएगा।

7. सभी वैधानिक शहरों में कच्ची बस्ती क्षेत्रों की पहचान की जाएगी, चाहे उनकी जनसंख्या कितनी भी क्यों न हो। कस्बों में पहले से ही अपने क्षेत्रों में अधिसूचित या मान्यता प्राप्त स्लम बस्तियों की सूची हो सकती है। इस सूची/अधिसूचना की एक प्रति सम्बन्धित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों से प्राप्त की जा सकती है। किसी भी वार्ड या कस्बे में HLB या EB बनाते समय स्लम क्षेत्रों के लिए अलग–अलग ब्लाक या ब्लाक्स बनाए जाने चाहिए, जो जनगणना के दोनों चरणों अर्थात् मकानसूचीकरण और बाद में जनसंख्या गणना के लिए हो। मकानसूचीकरण के स्लम ब्लाक्स और जनसंख्या गणना के स्लम ब्लाक्स की एक अलग पहचान रखने से जनगणना के दोनों चरणों के स्लम आंकड़ों को संकलित और सारणीबद्ध करने में सुविधा होगी। हालांकि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि स्लम ब्लाक किसी दूसरे वार्ड की सीमाओं को न काटे और कोई भी गैर स्लम क्षेत्र स्लम क्षेत्र के साथ मिश्रित नहीं होना चाहिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। यदि जनसंख्या गणना के समय मकानसूचीकरण ब्लाक की सीमाओं में पुनः सामंजस्य (Readjustment) करना आवश्यक हो जाता है, तो इन्हें केवल स्लम क्षेत्र में ही किया जा सकता है, ताकि दोनों चरणों के लिए तुलनात्मक आंकड़ें उपलब्ध हो सके। दोनों सेटों के आंकड़ों के बीच लिंक बनाने (जोड़ने) के लिए जनगणना के दोनों चरणों, मकानसूचीकरण और जनसंख्या गणना में सामंजस्य सुनिश्चित करें।

8. प्रत्येक मकानसूचीरण स्लम ब्लाक/गणना स्लम ब्लाक को चार कोडों में से एक कोड अर्थात् **अधिसूचित स्लम–1, मान्यता प्राप्त स्लम–2,चिन्हित स्लम–3 (जैसा पैरा 6 में परिभाषित किया गया है) और नॉन–स्लम–4 कोड दिया जाएगा।** इस उद्देश्य के लिए चार्ज रजिस्टर में एक अलग कॉलम प्रदान किया जाएगा। मकानसूचीकरण/गणना स्लम ब्लाकों का आकार आम तौर पर सामान्य HLB/EB ब्लाकों अर्थात् 650–800 की जनसंख्या के बराबर होना चाहिए। गणना ब्लाक जिसे जनगणना 2011 में 'स्लम गणना ब्लाक' के रूप में पहचाना गया था और अगर ये ब्लाक जनगणना 2021 के लिए स्लम क्षेत्र में आता है और इसकी आबादी काफी हद तक बढ़ गई है, तो जनगणना 2011 के स्लम गणना ब्लाक को दो मकानसूचीकरण स्लम ब्लाकों में विभाजित किया जा सकता है, उनमें से एक मकानसूचीकरण स्लम ब्लाक लगभग 800 जनसंख्या का तथा दूसरा छोटा ब्लाक हो सकता है। एक छोटा मकानसूचीकरण स्लम ब्लाक और एक दूसरा अन्य स्लम या गैर–स्लम मकानसूचीकरण ब्लाक, दोनों एक प्रगणक के सामान्य कार्यभार को पूरा कर सकते हैं, तो उन दोनों ब्लाकों को एक प्रगणक को दिया जा सकता है। हालांकि विभिन्न स्थानीय परिस्थितियों को पूरा करने के लिए चार्ज अधिकारी जनगणना निदेशालय के अधिकारी के साथ परामर्श कर अपने विवेक का उपयोग करते हुए मकानसूचीकरण और गणना ब्लाक को ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से जहॉ स्लम की जनसंख्या 650–800 से कम है, लेकिन 300 से कम नहीं है, तो केवल एक स्वतत्र स्लम ब्लाक का गठन किया जाएगा। इसे पास के सामान्य ब्लाक के साथ मिलाया नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में एक प्रगणक को एक से ज्यादा मकानसूचीकरण/गणना ब्लाक आंवटित किए जा सकते हैं, जिसके लिए उसे अलग से रिकार्ड/सूची बनानी होगी। प्रत्येक चार्ज में स्लम ब्लाकों की सूची तैयार की जाएगी और उसे जनगणना निदेशालय में रखा जाएगा।

9. क्योंकि स्लम के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है और शहरी योजनाओं के लिए पूर्व अपेक्षित है। अतः सभी शहरों के सम्बन्धित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मकानसूचीकरण स्लम ब्लाक/गणना स्लम ब्लाक को सावधानीपूर्वक पहचान लिया है तथा उनको प्रत्येक वैधानिक शहरों के चार्ज रजिस्टर में ठीक से दर्ज कर लिया है। मकानसूचीकरण/गणना स्लम ब्लाकों का पहचान करने का कार्य पूरा होने के बाद एक चार्ज–वार समेकित सूची तैयार कर उसे